पूर्व मध्य रेल

प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)



वर्ष 2017

प्रेम समूह की प्रथम बैठक



स्थान :

मुख्यालय सभाकक्ष, हाजीपुर

दिनांक : 24 मार्च 2017

समय : 11.00 बजे

INTRODUCTION

- **P R E M (Participation of Railway Employee in Management)**
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- **On Indian Railways it is working on three-tier basis.**
 1. The Railway Board Level (Corporate Enterprise Group of Labour of Management)
 2. The Zonal Railway Level
 3. The Divisional Railway Level

RAILWAY BOARD LEVEL

- Chairman - Chairman Railway Board
- Convenor - Secretary Railway Board
- Administrative side-Members Railway Board, Advisers & ED’s,
- Staff side - Four representatives of NFIR & AIRF each.
- Four representatives of federation of Railway officers.
- Four representatives of federation of promotee officers association.

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association.

DIVISIONAL LEVEL

- Chairman - DRM
- Sectretary - Sr. DPO/ DPO
- Administrative side - ADRM & Branch Executives
- Staff side - Four representatives of ECRKU.
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting :29 April 2016
- 2nd Meeting :02 September 2016
- 3rd Meeting :15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting :24 March 2017

OBJECTIVES

- To have better and systematic participation of labour in management with the main objective of improving the efficiency viability of Railway organisation and building the image of Railways as a service organisation
- To proved free flow of exchange of ideas on the running and shaping of Railway organisation
- Apprise the investment programme particularly in regard to housing and welfare activities.
 Note : Staff matters could not be discussed unless linked with the overall productivity of the organisation.

Workers Participation in Management

- Whitely Committee in UK during 1917 has recommended that workers should be given opportunity to participate in the discussion for -
- Promoting productivity for the general benefit of the organisation, employee and community.
- Giving employees a better understanding of their role in the organisation in the process of production.
- Satisfying the workers urge of self expression, to achieve industrial peace, better relationship and cooperation.
- In Railways, workers participation is in practice for a long time by associating the representatives of trade unions in different are as like:Staff benefit fund committee, Quarters & Housing committee

Workers Participation in Management

- Running room advisory committee
- Canteen management committee
- Hospital visiting committee
- Labour advisory committee
- Executive committees of Railway Institute and clubs
- Workshop productivity councils etc.
- In addition in the area of workers participation in management, corporate enterprise groups of management and labour have been formed at Railway Board, Zonal Railway and Divisions, which is now being called as Participation of Railway Employees in management(PREM)

वास्तविक आय (Originating Earnings) (2016–17)

(करोड़ रूपये में)

मद	उपलब्धि (2015–16)	लक्ष्य (2016–17)	संचयी उपलब्धि				
			वास्तविक (2015–16)	आनुपातिक लक्ष्य (2016–17)	उपलब्धि (2016–17)	% अंतर 2015–16	% अंतर आनुपातिक लक्ष्य
यात्री आय	2429.78	2569.72	2232.99	2361.13	2374.22	(+) 6.32	(+) 0.55
अन्य कोचिंग आय	123.41	140.11	112.46	128.07	128.86	(+) 14.58	(+) 0.61
माल आय	11018.69	10896.63	10053.88	9699.98	9673.88	(-) 3.78	(-) 0.27
विविध आय	163.60	174.38	144.18	172.47	154.48	(+) 7.14	(-) 10.43
कुल	**13735.48**	**13780.84**	**12543.51**	**12361.65**	**12331.44**	**(-) 1.69**	**(-) 0.24**

(फरवरी, 2017 तक)

संविभाजित आय(Apportioned Earnings)(2016–17)

(करोड़ रूपये में)

मद	वास्तविक 2015–16	लक्ष्य 2016–17	वास्तविक फरवरी 2016 के अंत तक	बजट अनुपात फरवरी 2017 के अंत तक	वास्तविक फरवरी 2017 के अंत तक (लगभग)	पिछले वर्ष का		आनुपातिक लक्ष्य	
						अंतर	% अंतर	अंतर	% अंतर
यात्री	2220.29	2442.26	2035.27	2254.95	2134.54	99.27	4.88	-120.41	-5.34
अन्य कोचिंग	60.06	70.00	52.05	66.39	46.32	-5.73	-11.00	-20.07	-30.22
माल	8558.99	8681.12	7740.40	8090.79	7467.84	-272.56	-3.52	-622.95	-7.70
विविध	163.60	174.38	144.18	172.47	154.48	10.30	7.15	-17.99	-10.43
कुल	**11002.94**	**11367.76**	**9971.90**	**10584.60**	**9803.19**	**-168.71**	**-1.69**	**-781.41**	**-7.38**

(फरवरी, 2017 तक)

माल लदान (FREIGHT LOADING PERFORMANCE)(मिट्रिक टन में)

मद	वास्तविक 2015–16	लक्ष्य 2016–17	लक्ष्य 2016–17	वास्तविक 2015–16	वास्तविक 2016–17	% अंतर 2015–16	% अंतर लक्ष्य
	वार्षिक		अप्रैल–फरवरी				
कोयला	104.17	110.65	100.67	94.90	94.75	-0.16	-5.88
कच्चा माल (स्टील प्लान्ट के लिए)	0.14	0.16	0.14	0.13	0.066	-49.62	-52.86
सिमेंट	1.45	1.56	1.42	1.37	1.25	-8.91	-12.18
मिनिरल ऑयल	1.62	1.80	1.64	1.51	1.25	-17.43	-24.02
खाद्य सामग्री	1.18	1.28	1.16	1.13	1.04	-7.96	-10.26
अन्य	5.61	6.55	5.95	5.47	5.76	5.28	-3.18
कुल	**114.93**	**122.00**	**110.98**	**104.51**	**104.11**	**-0.39**	**-6.19**

(फरवरी, 2017 तक)

टिकट जॉच का कार्य

विवरण	गत वर्ष 2015–16 फरवरी, 2016 तक	चालू वित वर्ष 2016–17 फरवरी, 2017 तक	% अंतर गत वर्ष के साथ
पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में)	14.29	16.97	(+) 18.79
पेनाल्टी आय (करोड़ में)	54.60	66.24	(+) 21.32
यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में)	4.53	3.88	(-) 14.28
यूबीएल से आय (करोड़ में)	2.62	2.22	(-) 15.01

(फरवरी, 2017 तक)

चर्चा का विषय

1.गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियां।

2.यार्ड अवपथन (डिरेलमेंट) में कमी लाना।

वर्तमान एजेण्डा पर प्राप्त सुझाव / विचार

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.1	1. जाड़े के मौसम में जिस–जिस लोकेशन में तीन से ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें डिस्ट्रेसिंग 49 डिग्री से 44 डिग्री पर कर दिया जाना चाहिये ताकि लाईन को बचाया जा सके। 2. जहाँ पर गिट्टी की कमी हो, उस लोकेशन में पर्याप्त गिट्टी भर दिया जाना चाहिए तथा Boxing भी किया जाना चाहिए। 3. लाईन के Deficient Fitting को पूरा कर दिया जाना चाहिए। 4. SEJ(Switch Expansion Joint) का Lubrication को Proper करते रहना चाहिए, तथा उसके GAP पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि SEJ का GAP जाम न हो सके। 5. Temp 55 डिग्री से ज्यादा होने पर Hot Weather Petrolling लगा देना चाहिए।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

1.0	**1.गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.1	6. Track Maintenance का काम 39 डिग्री से 45 डिग्री के बीच करना चाहिए। लाइन में काम करते समय एक Sleeper के चाभी को खोला जाना चाहिए। 7. वातानुकूलित कोचों को यार्ड में Pre-cooling करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 8. कोचों के Enroute पानी भरने हेतु पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 9. गर्मी में आग लगने की संभावना अधिक रहती है, अतः अग्निशामक यंत्र की जाँच समय पर करते हुए निर्धारित संख्या में उपलब्ध रहना चाहिए। 10. यार्ड में कूड़ा खुले में नहीं जलाकर Incinerator का प्रयोग करना चाहिए।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

1.0	**एजेण्डा (1)–1.गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.2	1. रेल का तापमाऩव TD+20ºc होने के पश्चात् ट्रैक रखरखाव एवं छेड़छाड़ का काम नही किया जाए। 2. आपातकालीन स्थिति मे ट्रैक का रखरखाव कम से कम कनीय अभियंता(रेल पथ) की देखरेख तथा speed restriction की तहत की जानी चाहिए। 3. प्रत्येक कि0मी0 में, एक पेट्रोलमैन की तैनाती की जानी चाहिए। जिसके पास गर्मी के मौसम मे ट्रैक का रखरखाव एवम् कार्य की पूरी जानकारी एवम् प्रशिक्षण प्राप्त हो। 4. पेट्रोल को साप्ताहिक विश्राम तथा प्रत्येक महीना में रोटेशन wise पेट्रोलमैन को कार्य मे लगाया जाय। 5. पेट्रोलमैन के लिए, गर्मी से बचाव के अच्छी किस्म का छाता, तौलिया तथा पानी का बोतल एवम् दवाई दी जाए।	**कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी.एशो.**

1.0	**एजेण्डा (1)–1.गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.2	6. पेट्रोलमैन के लिये ठंडा पानी की व्यवस्था हो। 7.पेट्रोलमैन का proper counseling, training and monitoring होना चाहिए। 8.दिन मे चलने वाली गाड़ियो मे पर्यवेक्षक तथा अधिकारियों का फुट प्लेट अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसमे पेट्रोलमैन तथा ट्रैक पर निगरानी रखा जा सके। 9. फुट प्लेटिंग निरीक्षक के लिये, प्रत्येक बड़े स्टेशन पर निरीक्षक विश्रामालय की व्यवस्था अनिवार्य है।	**कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी.एशो.**

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.3	1. ट्रैक का Hot Weather पेट्रोलिंग उचित मैन्यूअळ के नियमानुसार करवाना चाहिए ताकि अधिक तापमान पर ट्रैक का उचित संरक्षा हो और ट्रेन परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। 2. अभियंत्रण विभाग की तरफ से ट्रैक पर ट्रेस पासिंग या कैटल पासिंग पर बैलास्ट की हो कमी जाती है उसको गर्मी के आने से पहले ही पूर्ति करना तथा बराबर नजर रखना और जैसे ही कमी गिट्टी की हो ,पूर्ति तुरंत करना चाहिए। 3. की–मैन का डियूटी रोस्टर ऐसा रहे कि गर्मी में दोपहर के समय ट्रैक पर रहे। 4. ट्रैक मेन्टीनेंस तापमान के आधार पर कराया जाय तथा अधिक तापमान पर कोई ट्रैक से छेड़छाड़ नहीं किया जाय। 5. अधिकारियों द्वारा एल0डब्लू0आर0, एस0ई0जे0 की नापी तथा मेन्टीनेंस उचित ढंग तथा समय से किया जाय।	**अध्यक्ष** **ईसीआरपीएफए**

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.4	1.GR and SR- 15.05 के SR अनुसार असाधारण परिस्थिति/गर्मी के मौसम में पेट्रॉलिंग की व्यवस्था की जाए। 2.दिनांक 12.01.15 को महाप्रबंधक कक्ष में आयोजित संरक्षा समयपालन एवं अन्य मुद्दों से संबंधित बैठक में मद संख्या 13.0 में सीएसओ के द्वारा उठाया गया था जिसके संदर्भ डिप्टी सीओएम/जी द्वारा दिनांक 15.01.15 को सभी सीनियर डीओएम को पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी बड़े यार्डों का लगातार निरीक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा जिसमें इस तरह की घटना को रोकने हेतु उपाय किया जाए । इसी पत्र में मुख्यालय पर्यवेक्षक को निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है ।	**मुपरिप्र**

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.4	**3.आग से बचाव–** (1) यार्ड/साइडिंग में अक्सर जंगल झाड़ उग आते हैं तथा कूड़ा–कचरा का ढेर भी रहता है जिसमें गर्मी के दिनों में आग पकड़ने की संभावना रहती है । अतः गर्मी से पूर्व इन सब जगहों की अच्छी से सफाई सुनिश्चित करना चाहिए एवं ज्वलंत पदार्थ को ट्रैक से दूर रखा जाना चाहिए । (2) डीजल शेड व डीजल प्वाइंट पर जहां गाड़ियों में डीजल भरा जाता है, वहां आग न पकड़े इसके लिए विशेष सावधानियां बरती जाएं । जैसे अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू व राजस्तरीय फायर स्टेशन का नंबर उपलब्ध कराना चाहिए । ऐसे कर्मचारियों को विधिवत् आग बुझाने एवं आग से बचाव हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । (3) स्टेशन/स्टेशन परिसर में लोगों को आग से बचने हेतु बृहद पैमाने पर जागरूक करने की व्यवस्था की जाए । आग को बुझाने हेतु उचित व्यवस्था की जाए व इसका प्रशिक्षण कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए ।	मुपरिप्र

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.5	1.ट्रैक के मिसएलाइनमेंट को रोकने के उपाय करना। 2.एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर यदि डिसकन्टिन्यु है तो उसे हटाना। 3.ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी तापमान पर ही ट्रैक को खोलना चाहिए। 4.ट्रैक में फिटिंग को पूर्ण करना एवं बेकार/अनुपयोगी फिटिंग को बदलना। 5.क्रीप को समायोजित करना एवं जाम जोड़ों को निकालना। 6.एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर का डिस्ट्रेसिंग करना। 7.गिट्टी की कमी को पूरा करना।	प्रमुइं

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.5	8.रेल तापमान जब टी.डी.. 25 सेन्टीग्रेड पंहुच जाए तो पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिए। 9.गर्मी के मौसम में 12.00 बजे से 16.00 बजे के बीच ट्रैक मशीन से ट्रैक में काम नहीं करना। 10.ट्रेस पासिंग के स्थानों को चिन्हित करके वहां गिट्टी भरने के उपयुक्त उपाय करना। 11.पी.डब्ल्यु.आई द्वारा फुटप्लेट / ट्रॉली निरीक्षण दिन के सबसे गर्म समय में करना। 12.ट्रैक को अनावश्यक रूप से अटेन्ड नहीं करना।	**प्रमुइं**

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.6	▪वैगन एवं कोचों का प्रॉपर अनुरक्षण सुनिश्चित करना। ▪LWR/CWR में करें और न करें सुनिश्चित करें ▪ब्रीज एप्रोच में, एल सी एप्रोच में, ट्रेश पासिंग लोकेशन पर गिट्टी की भराई और ड्रेसिंग सुनिश्चित करें। ▪पेट्रोलमैन का Counseling सुनिश्चित करें। ▪SEJ का प्रॉपर अनुरक्षण किया जाना। ▪दो रेलों के बीच के गैप का प्रॉपर अनुरक्षण किया जाना। ▪LWR/CWR का प्रोपर अनुरक्षण किया जाना। ▪समपार फाटकों, कांटा एवं क्रासिंग तथा पुलों का प्रॉपर अनुरक्षण किया जाना। ▪यार्ड के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखा जाना। ▪ट्रैक रिले के वोल्टता को सीमा के अन्दर रखा जाना नही तो ट्रैक occupied होते हुए भी पैनल पर दिखाई नहीं देगा। ▪संयुक्त कांटा एवं क्रासिंग निरीक्षण के क्रम में पाई गई त्रुटियों को ठीक करना।	मुसंधि

1.0	**1.गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.7	गर्मी के मौसम में गाड़ियों के सवारी डिब्बों में पानी भरने वाले चिन्हित स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में पानी भरने वाले स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाना चाहिए जिससे पानी की कमी न हों। यात्री डिब्बों एवं वातानुकूलित डिब्बों के पंखों एवं वातानूलन की नियमित जांच एवं उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	मुसुआ

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.8	**कोचिंग अनुभाग :–** मेन्टेनेन्स के दौरान वाशिंग पिट पर सभी प्राइमरी, सेकेण्डरी तथा राउण्ड ट्रिप के गाडियों में पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है तथा वाशिंगपिट पर नहीं जानेवाले राउण्ड ट्रिप के गाडियों में प्लैटफॉर्म पर पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।पटना, मुगलसराय, बरौनी, मुजफ्फरपुर, धनबाद, गोमो, वरकाखाना और चौपन से गुजनेवाले गाडियों में पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।गुजरने वाले कुछ गाडियों जिनका शिड्यूल स्टॉपेज समय 10 मिनट या इससे कम है उनके स्टॉपेज समय को बढाने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा जा चुका है।शिकायत मिलने पर अतिरिक्त समय लेकर पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।वाटर सिस्टम में लीकेज पाये जाने पर प्लेटफॉर्म स्टाफ द्वारा खराबी को दूर किया जाता है। **डीजल अनुभाग :–** मंडलों एवं डीजल शेडों को दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है।	मुयांई

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.9	**ट्रैक सर्किट** • ट्रैक रिले पिक–अप/वोल्टेज को सीमा के अन्दर बनाये रखने के लिए ट्रैक सर्किट मानदंड का समंजन। • इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के इंड पोस्ट को क्रश होने से बचाने के लिए सरकन (क्रीप) को रोकना। • इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के दोनों तरफ के कम से कम एक रेल लंबाई पर सरकन (क्रीप) रोधी उपकरण इंजीनियरी विभाग द्वारा लगाया जाए। • इंजीनियरी विभाग द्वारा ग्लूड ज्वाइंट्स पर J-clip की व्यवस्था।	**मुसिदूइं**

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.9	**प्वाइंट्स** • रॉड चालित प्वाइंटों के लिए प्वाइंट रॉडिंग, समंजन योग्य क्रैंक, रॉड कॉम्पेन्सेटर का समंजन। • रेल–पथ कर्मचारियों के साथ प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग और ट्रैक सर्किटों का संयुक्त निरीक्षण तथा संयुक्त निरीक्षण के दौरान नोट की गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। **सिंगनल** • सेमाफोर सिगनलों के लिए वायर रन का समंजन। • सी.एल.एस सिगनलों पर हुड की व्यवस्था सुनिश्चित करना।.	**मुसिदूइं**

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.9	**विद्युत आपूर्ति** • आई.पी.एस का उचित अनुरक्षण तथा आई.पी.एस के एक्साडस्ट फैन का कार्य करना। • उचित वायुसंचार और आई.सी.एस एवं बैट्री रूम में एक्साडस्ट फैन की व्यवस्था। • विद्युत आपूर्ति के ऑटो–चेन्ज ओवर व्यवस्था का उचित रूप में कार्य करना। • वरि. मं.वि.इंजी/मं वि इंजी. के साथ समन्वय कर अस्थिर एवं कम वोल्टेज आपूर्ति वाले चिह्नित स्टेशनों पर राज्य विद्युत बोर्ड के स्थानीय विद्युत आपूर्ति में सुधार। • सी.एल.एस स्टेशनों पर स्टैबिलाइजर्स और इनवर्टरों का उचित कार्य करना। • आसुत (डिस्टिल्ड) जल संयंत्र का समुचित कार्य करना। • बैट्रियों की जांच व अपेक्षित विशिष्ट गुरूत्व बनाये रखने के लिए सेलों में पर्याप्त डिस्टिल्ड वाटर सुनिश्चित करना। • सोलर पैनेलों की साफ–सफाई और इसका उचित रूप से कार्य करना।.	**मुसिदूइं**

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.9	**डी.जी.सेट** • डी.जी.सेटों का समुचित रूप में कार्य और पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। • आपात स्थिति में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर पोर्टेबुल डी.जी. सेटों की उपलब्धता। • पत्र सं. 014/सिग/से.ई/ग्रीष्मकालीन सावधानी (समर प्रीकॉशन) दिनांक 03.05.2016 के क्रम में लंबे समय तक विद्युत कटने की अवधि में डी.जी.सेटों को चलाने के लिए डीजल ऑयल का पर्याप्त स्टॉक।	मुसिदूइं

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.9	**रिले रूम** • जहॉ कहीं उपलब्ध हो वातानुकूलन उपस्करों का समुचित रूप में कार्य करना। • वायु संचरण के लिए रिले रूम में उचित वेन्टिलेशन। • रिले रूम को डस्ट (धूल) मुक्त रखने के लिए साफ–सफाई। • कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए रिले वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण। • केबुल प्रवेशकों का सील किया जाना। • अग्नि चेतावनी/अग्निशामक पद्धति की व्यवस्था।	**मुसिदूइं**

1.0	**एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।**	
1.8	**साामान्य (इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली/केबुल/ब्लॉक)** • सभी इलेक्ट्रॉनिक सिगनलिंग प्रणाली और ब्लॉक सर्किटों के लिए समुचित भू–सम्पर्क (अर्थिंग) सुनिश्चित करना। • केबुलों, उपस्करों, वायरिंग आदि के लिए प्रयुक्त टर्मिनलों का कसना। **तड़ित और आवेश (सर्ज) सुरक्षा प्रणाली** • सभी विद्यमान ए.बी.सी. और डी. किस्म के उपलब्ध सुरक्षा को उनके प्रभावशीलता के लिए जांच करना और उनमें अप्रभावी को प्रतिस्थापित करना। • इन उपकरणें से जुड़े भू (अर्थिंग) 1 ओम से कम होने चाहिए। • ए.बी.सी. और डी. किस्म के उपलब्ध सुरक्षा को तड़ित प्रवण क्षेत्रों खासकर जहॉ ऐसी घटनाएँ विगत में हो चुकी हैं वहां लगाना।	**मुसिदूइं**

1.0	एजेण्डा (1)–गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियॉ।	
1.9	**नाली की साफ–सफाई** •वैसे स्टेशनों में जहां जल जमाव होता है जिसके फलस्वरूप ट्रैक सर्किट/प्वाइंट मशीन विफल होती है के नालियों की साफ–सफाई। **छतों का रिसाव** •विशेषकर, रिले, बैट्री एवं विद्युत उपस्कर रूम में छत रिसाव को ठीक करना। **पेड़–पौधों की सफाई** •आग फैलने से रोकने के लिए सिगनलिंग उपकरणों/केबुल के निकट पेड़–पौधों की सफाई।	**मुसिदूइं**

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.1	1.यार्ड लाइनों की प्रायः अनदेखी की जाती है, अतः यार्ड के लाइनों का भी उचित रख–रखाव होना चाहिए। 2.गुड्स शेडों के लाइनों पर ट्रकों का परिचालन रोकने की व्यवस्था होना चाहिए। 3.यार्ड में जल–जमाव को रोकने तथा पटरियों को जंग लगने से रोकने हेतु आम आदमी को शौच हेतु प्रयोग पर रोक की व्यवस्था।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.2	**1.**ट्रैक का गेज का रखरखाव के लिए अच्छे किस्म का composite GFN liner उपलब्ध कराया जाय जिसमें गेज लम्बे समय तक रहे। **2.**Gange Tie plate युक्त Fanshape sleeper होना चाहिये। **3.**Pts & Xing का अच्छे रखरखाव के लिये डिपार्टमेंटल रिकंडिशनिंग बैच बड़े यार्ड के लिये अनिवार्य है। **4.**Scattered ज्वाइंट एवं SEJ ज्वाइंट को वेल्ड होना अनिवार्य है। **5.**Manual रखरखाव के चलते, यार्ड गैंग का strength full रखा जाए ताकि यार्ड का रखरखाव अच्छा रहे।	कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी.एशो

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.2	**6.**अच्छी अपेपइपसपजल के लिए, संट सिग्नल का एलईडी सर्किटिंग अनिवार्य है। शंटिंग के दौरान, ईटी(यार्ड ड्राईवर) के साथ शंटमैन अनिवार्य रूप से रहे। **7.**यार्ड में कार्यरत्त ड्राइवर तथा शंटमैन को पूर्ण रूप से यार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त हो उन्हें ही कार्य पर लगाया जाए। **8.**मौखिक आदेश पर कार्य नही किया जाए, इसके लिए ड्राइवर एवं शंटमैन को कॉउसिलिंग एवम् प्रशिक्षित किया जाए।	**कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी.एशो**

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.3	**ट्रैफिक** (क) प्वाइन्ट्स मैन को उचित वर्दी तथा प्रॉपर झंडी के साथ संटिंग या मूवमेन्ट कराया जाए। (ख) प्रॉपर प्वाइन्ट्स पर क्लैम्प्स लगाकर पैडलॉकिंग द्वारा प्वाइन्ट्स की संरक्षा की जाय। **लोको** (क) प्रॉपर आथोरिटी स्टेशन मास्टर से प्राप्त करके ही यार्ड में शंटिंग का मूवमेन्ट हों	**अध्यक्ष** **ईसीआरपीएफए**

2.0	2.यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.3	**इंजीनियरिंग** (क) सभी खराब स्विच क्रासिंग को समय से बदला जाय। संरक्षा सीमा से खराब कोई भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। (ख) ट्रैक पैरामीटर को नियमित पैकिंग कराकर संरक्षा सीमा के भीतर रखा जाये। (ग) वर्क साइट पर प्रॉपर संरक्षा जैसे बैनर फ्लैग, फॉग सिग्नल लगाकर ही या प्रॉपर ब्लाक लेकर ही कार्य कराया जाय। **सिग्नल** (क) शार्ट कट तरीका नहीं अपनाया जाय। (ख) गियर प्वाइन्ट्स का प्रॉपर तथा समय से मेन्टेनेन्स हों	अध्यक्ष ईसीआरपीएफए

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.4	यार्ड अवपथन में कमी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठा कर जाए । (1) शंटिंग के दौरान सिर्फ स्थावर सिगनलों पर ही निर्भर नहीं रहा जाए, शंटिंग हेतु नियुक्त सक्षम कर्मचारियों के संकेतों का सही ढंग से पालन भी किया जाए । (2) जिसमें लूज शंटिंग मना हो उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । (3) शॉर्टकट विधि न अपनाकर परिचालन के स्थापित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए । (4) यार्ड की साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए । (5)यार्ड में स्थित लाइनों का अनुरक्षण भी नियमानुसार किया जाए । कर्मचारियों का समय–समय पर प्रशिक्षण कराया जाए ताकि वह शंटिंग नियमों से कार्य करे ।	मुपरिप्र

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.5	•प्वाइंट क्रासिंग पर विशेष ध्यान देना जैसे कि ○स्विच एवं क्रासिंग नोज पर ग्रीज लगाना। ○प्वाइंट क्रासिंग क्षेत्र में कम–से–कम फिश प्लेट जोड़ रखना। ○सी.एम.एस. क्रासिंग जोड़ में गैप को नहीं रखना। ○क्रासिंग बॉडी के सभी जोड़ पर एक मीटर फिश प्लेट लगाना। •यार्ड में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करना। •प्लैटफार्म लाइनों पर आवश्यकतानुसार वाशेबल एप्रन का निर्माण करना। •ऊंचे प्लेटफार्म के पास यदि बड़े बोल्डर हैं तो उनको हटाना। •लो ज्वाइंट को ठीक करना।	प्रमुइं

2.0	यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.5	•लूप लाइन को भी एल.डब्यु.आर. में परिवर्तन करना। •यार्ड क्षेत्र में बेकार/अनुपयोगी रेलों को यथाशीघ्र बदलना। •यार्ड के सभी पथ का सारे पी.डब्ल्यु.आई. द्वारा पैदल चल कर निरीक्षण करना। •जंग वाला क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक दो वर्ष पर सही तरीके से पेन्टिंग करना तथा यदा–कदा आवश्यकतानुसार बीच में पेन्टिंग करना। •प्रत्येक प्लेटफार्म लाईन में दूरी ब्लॉक को प्रत्येक 30 स्लीपर के अंतराल पर सुनिश्चित करना।	प्रमुइं

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.6	▪शंटिंग के दौरान शंटिंग नियमों का पालन करना। ▪नन इंटरलॉक्ड प्वाइंट को सेटिंग एवं पैड लॉकिंग सुनिश्चत करना। ▪हाथ सिगनल का सही–सही प्रयोग करना तथा रात के समय सिर्फ लाल और हरा बत्ती का ही प्रयोग करना। ▪गाड़ी की अधिकतम गतिसीमा 15 कि.मी. होनी चाहिए। ▪लोको पायलट द्वारा शंटिंग के समय सिगनल एवं प्वाइंट का ध्यान रखना चाहिए। ▪लंबे लोड के लिए पर्याप्त शंटमैन का व्यवस्था होना चाहिए। ▪लोको पायलट वॉकीटॉकी पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सिगनलों के इंडीकशन पर भी ध्यान देंगे। ▪ट्रेन थ्रू होने पाने पर ट्रेन को बिना स्टेशन मास्टर के लिखित प्राधिकार के बैक नहीं करेंगे।	मुसंधि

2.0	2.यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.6	▪Corrosion का अलग से रजिस्टर मेंटेन करें । ▪Corrosion से प्रभावित ट्रैक में और प्लेटफार्म लाईन के ट्रैक में Anti corrosive painting सुनिश्चित करें । ▪प्वाइंट एंड क्रॉसिंग में ZMF सुनिश्चित करें । ▪CMS क्रॉसिंग में गैपलेस ज्वाइंट सुनिश्चित करें । ▪ROBs और FOBs के नीचे ट्रैक में गार्ड रेल सुनिश्चित करें । ▪प्वाइंट एंड क्रॉसिंग के मेंटनेंस शिड्यूल का पालन करें। ▪प्वाइंट एंड क्रॉसिंग का ज्वाइंट इंसपेक्शन (इंजीनियरिंग विभाग और सिगनल विभाग का) शिड्यूल पे करें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें	मुसंधि

2.0	2.यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.6	▪प्वाइंट एंड क्रॉसिंग का USFD टेस्टिंग सुनिश्चित करें और टेस्ट चेक करें। ▪यार्ड में ड्रेन और क्रॉस ड्रेन सुनिश्चित करें जिसे ट्रैक में जल–जमाव, Corrosion नहीं हो । ▪सुनिश्चित करें कि वार्टर बूथ का पानी ट्रैक में नहीं आए । ▪प्लेटफार्म की गंदगी सफाई कर ट्रैक पर नहीं डाले। ▪प्लेटफार्म लाईन में लकड़ी का डिस्टेंट ब्लॉक सुनिश्चित करें।	मुसंधि

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.7	गर्मी के मौसम में ट्रैक की नियमित जांच होना चाहिए। खराब सामानों को तुरंत मरम्मत कराना चाहिए, संकेत एवं संचार प्रणाली सतत ठीक रहे इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। समय पालन के अलावा संरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले कर्मी को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए।	मुसुआ

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.8	**कोचिंग अनुभाग :–** अण्डर कैरेज का रख–रखाव (मेन्टेनेन्स शिड्यूल) गाडियों को भलीभाती अनुरक्षण किया जाता है ताकि अण्डर कैरेज के लिए कोई अपथन न हो। **डीजल अनुभाग :–** शंटिंग मेमों के उचित संख्या में Pointsmen नहीं दिया जा रहा है। प्रेशर शटिंग हेतु निर्देश जारी किया गया है।	मुयांई

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.9	अवपथन/दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सिगनल व दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं: 1. ट्रेनों को पास कराये जाने हेतु कोई भी शार्टकट नहीं अपनाए जाने तथा सिगनलिंग गियरों के सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एस.एंड.टी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों की काउंसलिंग कर संरक्षा पर विशेष ऑन–साइट सेमिनार/बैठकें आयोजित की गई इस अभियान के दौरान 1287 अधिकारियों और 203 पर्यवेक्षकों द्वारा कुल 331 सेमिनार/बैठकें आयोजित की गई।	मुसिदूइं

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	2. ऐसे एस.एंड.टी गियर जिन्हें डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है, उनके अनुरक्षण से पूर्व एस.एंड.टी कर्मचारियों द्वारा डिस्कनेक्शन मेमो लिए जा रहे है। कुल प्रस्तुत किए गए 7773 डिस्कनेक्शन मेमो में से कुल 7329 डिस्कनेक्शन मेमो स्वीकार किए गए। मुख्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। 3. किसी भी परिस्थिति में, शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाए जाने के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियरों एवं सिगनल इंटरलॉकिंग अनुरक्षकों से लिखित आवश्वासन लिए गए हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियरों (सिगनल) एवं एस.आई.एम से कुल 1004 अदद लिखित आश्वासन प्राप्त किये गए है। (एसएसई/जेई – 121, एसआईएम – 8883)।	**मुसिदूइं**

2.0	एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।	
2.9	4.विशेष अभियान फील्ड स्तर के निरीक्षण को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए किए गए है। अभियान के दौरान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा निम्न पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन/यार्ड के निरीक्षण तथा फुट प्लेट निरीक्षण कराये गए : (क) सिरीज डिटेक्शन, बाधा जांच और कॉरेस्पोन्डेंस जांच हेतु सभी प्वाइंटों की जांच की गई। (ख) ट्रैक सर्किटों का समायोजन, प्वाइंट समायोजन, ज्वायंट प्वाइंट का कम्प्लाइन्स एवं क्रासिंग निरीक्षण की कमियों का अनुपालन, वेजिटेशन की ट्रिमिंग/रिमूविंग करना जो सिग्नल को obstruct करता हो। (ग) समांतर ट्रैक सर्किटों आदि का हटाया जाना। (घ) सिगनल की सही दृश्यता की जांच के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा फुटप्लेट निरीक्षण किये गए।	मुसिदूइं

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	5. स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति उपकरणों, आईबीएच, अर्थों, फ्यूजों के सही संयोजन हेतु रिले हटों तथा बैटरियों की हालत की जॉच की जा रही है और कमियों को दूर करने तथा एस.एंड.टी सर्विस भवनों में आग आपदा को रोकने के लिए निरीक्षण किया गया। 6. इंजीनियरिंग और एस.एंड.टी अधिकारियों द्वारा प्वाइंटों और क्रासिगों के संयुक्त निरीक्षण हेतु, विशेष अभियान चलाए गए। मंडलवार स्थिति निम्नलिखित है:–	मुसिदूइं

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	**<u>धनबाद मंडल</u>–** • विशेष अभियान के दौरान, मंडल के 66 स्टेशनों पर ज्वाइंटों और क्रॉसिगों के संयुक्त निरीक्षण किए गए। इन 66 स्टेशनों में से 505 की कमियों को नोट किया गया। • अभियान के दौरान 505 इंजनियरिंग कमियों में से 89 का अनुपालन किया गया और 416 अनुपालन के लिए शेष हैं। • एस.एंड.टी फिक्सचरों को खोलकर 32 प्वाइंटों पर UNIMATAE मशीन द्वारा पूरे टर्न–आउट और क्रॉस–ओवर टैम्पिग करायी गयी।	मुसिदूइं

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	**दानापुर मंडल–** • दिनांक 02.12.16 से प्वाइंट और क्रॉसिंग का स्टेशनवार संयुक्त निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। दिनांक 15.12.16 तक 32 स्टेशनों पर निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। • कुल 906 इंजीनियरिंग संबंधी कमियों को नोट किया गया और जहां कहीं भी संभव है, वहां कमियों का अनुपालन भी किया जा रहा है। **मुगलसराय मंडल–** • कुल 345 प्वाइंटों का स्टेशनवार प्वाइंट और क्रॉसिंग निरीक्षण किया गया। कुल 1009 इंजीनियरिंग कमियों को नोट किया गया तथा कमियों का अनुपालन प्रगति पर है।	**मुसिदूइं**

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	**<u>सोनपुर मंडल</u>–** • विशेष अभियान के दौरान मंडल के 36 स्टेशनों पर प्वाइंटों और क्रॉसिंगों का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। इन 36 स्टेशनों में से 226 के कमियों को नोट किया गया है। उसका अनुपालन किया जा रहा है। • प्वाइंट और क्रॉसिंग के तीसरी तिमाही संयुक्त निरीक्षण के दौरान कुल 652 कमियॉ पायी गईं। सभी कमियों का अनुपालन कर लिया गया है। • सभी पहचान किये गए 14 खराब स्विच रेल को बदल दिया गया है। • एस.एंड.टी फिक्सचरों को खोलकर 8 स्टशनों पर UNIMATAE मशीन द्वारा पूरे टर्नआउट और क्रॉस–ओवर की टैम्पिग की गई।	मुसिदूइं

2.0	**एजेण्डा (2)– यार्ड अवपथन (डिरेलमेन्ट) में कमी लाना।**	
2.9	**<u>समस्तीपुर मंडल</u>**– प्वाइंट और क्रॉसिंग का स्टेशनवार संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। दिनांक 15.12.16 तक 50 स्टेशनों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। इन स्टेशनों पर प्वाइंट और क्रॉसिंग के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गई 1575 कमियों में से केवल 57 कमियों को अब तक पूरा कर लिया गया है। शेष 1518 कमियों के अनुपालन के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल को मेमो जारी किया गया है।	मुसिदूइं


धन्यवाद